बिहार सरकार

बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना (बी.के.बी.डी.पी.) - II
विश्व बैंक से सहायता प्राप्त

'आपदा को अवसर में बदलना'

पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन ढ़ांचा

अंतिम प्रतिवेदन
अप्रैल 2015

बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसायटी पटना

बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसायटी पटना

प्रस्तावना

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त बिहार कोसी बाढ़ उत्थान परियोजना-II (बीकेएफआरपी-II) के लिए इस पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन ढांचे (ईएसएमएफ) को बिहार आपदा पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास सोसायटी (बीएपीईपीएस) द्वारा तैयार किया गया है।

बीएपीईपीएस में ईएसएमटी तैयार करने वाले दल की अध्यक्षता बीएपीईपीएस के परियोजना निदेशक डा० दीपक प्रसाद (भा०प्र०से०) ने की थी। टीम के सदस्य थे डा० रवि कुमार गुप्ता, पर्यावरण विशेषज्ञ, श्री आजम खान, सामाजिक उत्प्रेरक और रवि प्रकाश सिंह, शिकायत निवारण समन्वयक। सहभागी विभागों से तैयार की गई सहायक टीम ने समय–समय पर बीएपीईपीएस की सहायता की, इन विभागों में शामिल हैं जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, सड़क निर्माण विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, ग्रामीण निर्माण कार्य विभाग, कृषि विभाग और पशुपालन विभाग।

इस ईएसएमएफ को बीएपीईपीएस की वेबसाइड पर डाला गया है और इसकी हार्ड कॉपियां परियोजना जिलों के जिला सूचना केन्द्रों पर उपलब्ध कराई गई है। बीएपीईपीएस इस ईएसएमएफ के क्रियान्वयन में पूरे मनोयोग से प्रतिबद्ध है। इस बीएपीईपीएस को समय–समय पर अद्यतन बनाया जाएगा क्योंकि बीकेएफआरपी-II को उप–परियोजनाओं के अनुभवों को विधिवत रूप से ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित किया गया है।

अप्रैल 2015

परियोजना निदेशक (बैपेप्स)

कार्यकारी सारांश

परियोजना

बिहार कोशी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट –I (बीकेएफआरपी-I) के माध्यम से कोशी नदी में आने वाली बाढ़ से उत्पन्न होने वाली आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने जनवरी 2011 में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की है। इसकी एक कड़ी के रूप में और बाढ़ प्रबंधन की दीर्घावधिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार सरकार ने बाढ़ की भरपाई के लिए तथा बृहत्त कोशी नदी बेसिन में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार कोशी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट–I (बीकेएफआरपी-I) हेतु और अधिक सहायता की मांग की है। इस परियोजना को बहु–क्षेत्रिय फ्रेमवक्र के अन्तर्गत विकसित किया गया है जिसका उद्देश्य कोशी नदी बेसिन में कृषि उत्पादन की अस्थिरता को कम करना और समग्र आर्थिक उत्पादन को बढ़ाने के क्रियाकलापों में निवेश करना है। आधारभूत स्तर पर, बाढ़ नियंत्रण के लिए किए गए निवेश से अस्थिरता कम होती है और आजीविका तथा कृषि को नुकसान पहुंचाने वाली कोशी बेसिन की बाढ़ से बेहतर सुरक्षा प्राप्त होती है। और अधिक स्थिर पर्यावरण के लाभों के संवर्धन के लिए, यह परियोजना क्षेत्र की कृषि संभावना को खोलने के लिए बहुत से निवेश करती है। सिंचाई क्षेत्र में निवेश करने से किसानों को फसल उगाने के लिए आवश्यक जल सालभर प्राप्त होगा और उन्नत सड़क तंत्र से फसल को विस्तृत बाजार तक ले जाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, संस्थाना को पर्याप्त रूप से शक्ति सम्पन्न करने और क्षमता निर्माण के प्रयासों से भौतिक अवसंरचना में निवेश करने में सहायता मिलेगी। परियोजना में निम्नलिखित पांच घटक शामिल हैं:

· घटक 1: बाढ़ जोखिम प्रबंधन में सुधार, 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर
o उपघटक 1.1: बाढ़ नियंत्रण अवसंरचना का सुदृढीकरण
o उपघटक 1.2: बाढ़ के जोखिम का प्रबंधन करने के लिए संस्थानिक क्षमता के सुदृढीकरण के लिए सहायता
o उपघटक 1.3: बाढ़ उपशमन कार्य
· घटक 2: सिंचाई क्षमता का सुदृढीकरण, 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर
o उपघटक 2.1: निजी नलकूप विकसित करना
o उपघटक 2.2: सरकारी नलकूपों का सौर विद्युतीकरण
o उपघटक 2.3: कोसी क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं को सहायता प्रदान करना
o उपघटक 2.4: जल स्तर की निगरानी करना और एमडब्ल्यूआरडी को तकनीकी सहायता प्रदान करना
· घटक 3: कनेक्टिविटी बढ़ाना, 175 अमेरिकी डॉलर
· घटक 4: कृषि उत्पादन बढ़ाना, 75 अमेरिकी डॉलर
· घटक 5: आकस्मिक आपातकालीन प्रतिक्रिया, 0 अमेरिकी डॉलर
· घटक 6: कार्यान्वयन सहायता, 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर

पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन फ्रमवर्क

बीकेएफआरपी-I ने परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक रक्षोपाय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक ईएसएमएफ तैयार की है और इसे बीकेएफआरपी-II के लिए उपयुक्त बनाने के लिए संसोधित किया गया है। इसे ज्यादातर संख्यात्मक गौण जानकारी, गुणात्मक स्थल दौरों, परियोजना के अधिकारियों, परामर्शदाताओं के साथ चर्चा, आदि के आधार पर तैयार किया गया है।

पर्यावरणीय और सामाजिक आधार–रेखा

यह आधार–रेखा पर्यावरणीय और सामाजिक आधार–रेखा के साथ बिहार के ऐतिहासिक, अवस्थानिक, भौगोलिक और फीजियोग्राफिक रूपरेखा को प्रस्तुत करती है। इनके साथ–साथ, यह आधार–रेखा प्रदेश की बाढ़ संबंधी आपदा जोखिम रूपरेखा को भी प्रस्तुत करती है। इस आधार–रेखा आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित मुद्दों की पहचान की गई थी;

उच्च जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर
कम साक्षरता दर

विशेषरूप से न्यून महिला साक्षरता दर
सीमांत वर्गों को (विशेषकर महादलितों में) विकास से अलग रखना
न्यून प्रति व्यक्ति आय
ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति
न्यून स्वास्थ्य अवसंरचना
रेत की ढलाई
मृदा अपरदन
निपटान न किया गया मलबा
जल प्रबंधन संसाधनों का नुकसान
वृक्षारोपण का नुकसान
खराब अपवहन की वजह से लवणता में बढ़ोतरी
बाह्य प्रवास वाले क्षेत्रों में पर्यावरणीय संसाधनों पर दबाव
पुर्निर्माण द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रदूषण की वजह से पर्यावरणीय अवक्रमण
रेत की ढलाई की वजह से भू–उपयोग में परिवर्तन

पर्यावरण और समाज संबंधी कानून और विनियम

पर्यावरण और समाज संबंधित भारत सरकार, बिहार सरकार और विश्व बैंक के विभिन्न कानूनों, विनियमों और नीतियों की समीक्षा की गई और परियोजना से संगत कानूनों, विनियमों और नीतियों पर चर्चा की गई। परियोजना के लिए लागू विश्व बैंक की संगत रक्षोपाय नीतियां निम्नलिखित हैः

ओपी/बीपी 4.01 पर्यावरणीय मूल्यांकन – लागू
ओपी/बीपी 4.04 प्राकृतिक पर्यावास – निर्णय लिया जाना है
ओपी/बीपी 4.36 वानिकी – लागू नहीं
ओपी 4.09 कीट प्रबंधन – निर्णय लिया जाना है
ओपी/बीपी 4.12 अनैच्छिक पुनर्वास – लागू
ओपी/बीपी 4.20 देशी लोग – लागू नहीं
ओपी/बीपी 4.11 भौतिक सांस्कृतिक संसाधन – लागू
ओपी/बीपी 4.37 बांधों की सुरक्षा – लागू नहीं
ओपी/बीपी 7.50 अन्तरराष्ट्रीय जलमार्गों की परियाजनाएं – लागू
ओपी/बीपी 7.60 विवादित क्षेत्रों की परियोजनाएं – लागू नहीं
बीपी 17.50 सूचना के प्रकटीकरण संबंधी नीति

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा घोषित पर्यावरण और समाज से संबंधित और मौजूदा परियोजना के लिए संगत नीतियां, अधिनियम, नियम और विनियम निम्नलिखित हैः

पर्यावरण संबंधी

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 का 29
जल और वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं 1981 (केन्द्रीय अधिनियम 1974 का 6) 1988 में यथासंसोधित
वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का 69 और 1988 में संसोधित
राष्ट्रीय जल नीति, 1988
संयुक्त वन प्रबंधन, 1993
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, I972, 1991 में संसोधित
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना, 2006
प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958

जैव विविधता अधिनियम 2002
जैव विविधता नियमावली 2004

यह नीति और विनियामक विश्लेषणों से पता चलता है कि शुरु किए जाने वालो उप–परियोजनाएं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना की अनुसूची – I में सूचीबद्ध किसी भी परियोजना श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आती हैं और इसलिए इनके लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से किसी प्रकार की औपचारिक निकासी की आवश्यकता नहीं है। परियोजना क्षेत्र को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील अथवा कमजोर अधिसूचित नहीं किया गया है।

सामाजिक संबंधी

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894
राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007
बिहार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007
न्यूनतम दिहाड़ी अधिनिय, 1948
ठेका श्रमिक अधिनियम, 1970
बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्नमूलन), अधिनियम, 1976
बाल मजदूरी (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1996 नियमावली 1988 सहित
बाल (श्रम वचन) अधिनियम, 1933 (2002 में यथासंसोधित)
निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 1996
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995
बिहार विशेषाधिकृत व्यक्ति कृषि किराएदारी, 1947, 1949
बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956
कोशी आपदा पुनर्वास और पुनर्निर्माण नीति, 2008
बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997
सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन और अपवहन नियमावली, 2003

ऐसी प्रत्याशा है कि उप–परियोजनाओं के रचना, नियोजन और कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न अनुमति, स्वीकृतियां और प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ये नीचे दिए गए हैं:

पर्यावरणीय निकासी/एनओसी (उन उप–परियोजनाओं के लिए जिन्हें इस प्रकार की मंजूरी की आवश्कता होती है उदाहरण के लिए तटबंध कार्य, यदि उनकी स्थिति और आकार के लिए अपेक्षित हो)
वन निकासी
पेड़ों की कटाई की अनुमति
हॉट मिक्स प्लांट, वैट मिक्स मकैडम प्लांट, क्रशर, बैचिंग प्लांट
संकटापन्न सामग्रियो का भण्डारण, संभलाई और परिवहन
श्रमिकों के कैम्प, उपकरण और भण्डारण यार्ड की अवस्थिति/अभिविन्यास
श्रमिक कैम्प से होने वाला बहिःस्राव
नदी के तले से रेत खनन की अनुमति

पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव

बीकेएफआरपी-II और सहवर्ती उप–परियोजनाएं लक्षित जनसंख्या पर सकारात्मक और लाभदायक प्रभाव डालेगी। तथापि, किसी एक अथवा सभी विकास हस्तक्षेपों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होंगे; इसको ध्यान में रखते हुए संभावित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध किया गया है। इन सूचीबद्ध प्रभावा का महत्व किसी परियोजना, इसके आकार और अवस्थिति के आधार

पर भिन्न–भिन्न होगा। उप–परियोजनाओं के संभावित छोटे आकार की वजह से प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई है, तो वे निम्नलिखित कारणा की वजह से न्यूनतम होंगे और स्थानिक होंगे:

प्रस्तावित परियोजनाए अपने आप में बाढ न्यूनीकरण के उपाय हैं
उप–परियोजनाएं अभी प्रस्तावित की जानी हैं
नई उप–परियोजनाओं को शामिल किए जाने की संभावना है
काफी कम सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव
उप–परियोजनाओं की पहचान और कार्यान्वयन में समय अन्तराल

मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का पूर्वानुमान लगाया गया है। ये प्रभाव निर्माण चरण और/अथवा प्रचालन स्तर के दौरान सामने आ सकते हैं। संभावित सकारात्मक प्रभावों की सूची नीचे दी गई हैं:

जन सुरक्षा में सुधार
बाढ़ के दौरान सुरक्षा
मानसून और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के दौरान कम तकलीफ
बेहतर अवसंरचना और परिवहन सुविधाएं
सेवाओं तक बेहतर पहुंच
समय का रचनात्मक उपयोग
आय स्तरों में सुधार
स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुधार
जीवन की गुणवत्ता और मानव प्रतिष्ठा में सुधार
समाजिक अन्तःक्रिया के लिए अवसर
उन्नत सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व की भावना

प्रत्येक प्रकार की उप–परियोजनाओं के नकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को नीचे दी गई तालिका में संक्षेप में दर्शाया गया है:

I	ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन	ओ	पी	क्यू	
1. बाढ़ जोखिम प्रबंधन में सुधार																		
1.1. बाढ़ नियंत्रण अवसंरचना को मजबूत करना																		
1.1. a. पूर्वी तटबंध (75 किमी) सहयोगी तटबंध (25 किमी) तटबंधों में	एल	एम	एल	एम	एल	एल	एल	एम	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल

अन्तरालों को बंद करना *																		
1.1. b. 12 निकर्षण यंत्रों की खरीद करना	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल
1.2. बाढ़ प्रबंधन के लिए संस्थानिक क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु सहायता	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल
1.3. बाढ़ उपशमन कार्य (पहचाने जाने हैं)																		
2. सिंचाई क्षमता का सुदृढ़ बनाना																		
2.1. निजी नलकूप विकास	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एम	एल	एम	एम	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल
2.2. सरकारी नलकूपों का सौर विद्युतीकरण	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल
2.3. कोसी में सिंचाई																		

परियोजनाओं को सहायता देना (निवेशों की पहचान की जानी है)																		
2.4. भूजल स्तर की निगरानी और एमडब्ल्यू आरडी को तकनीकी सहायता देना	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल
3. संयोजकता बढ़ाना																		
3.a. ग्रामीण सड़कों का उन्नयन	एम	एम	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल
3.b. छोटे और मझौले पुलों का निर्माण	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल
4. कृषि उत्पादन को वित्त पोषित करना																		
4.a. बहुफसली चक्र	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एम	एम	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल
4.b. अत्यधिक तलछटीकृत	एल	एल	एल	एम	एल	एल	एल	एम	एम	एल	एम	एल	एल	एल	एल	एल	एल	एल

क्षेत्रों की समीक्षा करना																		
4.c. वैकल्पिक आजीविका को प्रोत्साहन देना	**एम**	**एम**	**एल**	**एल**	**एम**	**एल**	**एल**	**एल**	**एम**	**एल**	**एल**	**एम**	**एल**	**एम**	**एम**	**एम**	**एल**	**एल**
5. आकस्मिक आपातकालीन प्रतिक्रिया	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**
6. कार्यान्वयन सहायता	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**	**एल**

कोड	प्रभाव	कोड	प्रभाव	कोड	प्रभाव
ए	भूमि अधिग्रहण	जी	भूजल गुणवत्ता	एम	जैव विविधता
बी	अनैच्छिक पुनर्वास	एच	पर्यावास / वनस्पतिजात प्राणिजात नष्ट होना	एन	शोर
सी	भूमि उपयोग	आई	कीटों द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि	ओ	गंध
डी	जल प्रणाली और अपवहन पैटर्न	जे	रसायनिक कीटनाशकों / उर्वरकों का अधिक प्रयोग	पी	धुआं
ई	जल भराव	के	जन स्वास्थ्य	क्यू	अन्य सेवाओं में बाधा
एफ	सतही जल गुणवत्ता	एल	सुरक्षा	आर	वायु गुणवत्ता

प्रभाव: एस– पर्याप्त एम – मध्यम एल - कम

पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन ढ़ांचा

वर्गीकरण

पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के स्तर और आकार का संकेत देने के लिए परियोजनाओं को वर्गीकृत किया गया है। उप–परियोजनाओं की सामाजिक और पर्यावरणीय श्रेणीयां नीचे दी गई है:

पर्यावरणीय

पर्यावरणीय प्रभावों के आधार पर उप–परियोजनाओं को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा गया है:

1) ईए, जहां पर काफी प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हैं

2) ईबी, जहां पर मध्यम से लेकर कम प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हैं

ईए श्रेणी की उप–परियोजनाओं की बीएपीईपीएस द्वारा मूल्यांकन के लिए डीपोआर तैयार किए जाने से पूर्व स्वतंत्र परामर्शदाताओं से व्यापक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) किए जाने और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार किए जाने की आवश्यकता होती है। इस ईआईए और ईएमपी को उप–परियोजना के लिए खरीददारी शुरु करने से पहले प्रकट करने की आवश्यकता होती है।

ईबी श्रेणी की उप–परियोजनाओं के लिए ईआईए की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इनके लिए ईएमपी की आवश्यकता होती है, जिन्हें इस ईएसएमएफ में दिए गए दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए रचना परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। यदि विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत बीएपीईपीएस सीमित पर्यावरणीय मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस करता है तो तब इसे कराए जाने की आवश्यकता होगी।

पर्यावरण प्रभाव उपशमन – मार्गदर्शन

पर्यावरणीय प्रभाव उपशमन मार्गदर्शन में उप–परियोजना द्वारा पैदा किए जाने वाले संभावित प्रभावों के उपशमन उपायों की सूची शामिल की गई है। इसमें परियोजना चरण भी शामिल है, जहां प्रत्येक उपशमन उपाय पर विचार करने की आवश्यकता होती है और यह कार्यान्वयन दायित्व भी इंगित करता है। यह मार्गदर्शन सूचीबद्ध सभी प्रभावों को शामिल करता है और उप–परियोजना के चरण के अनुसार उपशमन उपाय प्रदान करता है।

सामाजिक

सामाजिक प्रभावों के आधार पर उप–परियोजनाओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है:
1) एसए, जहां पर परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या 20 से अधिक होती है
2) एसए, जहां पर परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या 20 से कम होती है

एसए श्रेणी की उप–परियोजनाओं की बीएपीईपीएस द्वारा मूल्यांकन के लिए डीपीआर तैयार किए जाने से पूर्व स्वतंत्र परामर्शदाताओं से व्यापक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसए) किए जाने और पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) तैयार किए जाने की आवश्यकता होती है। इस एसए और आएपी को उप–परियोजना के लिए खरीददारी शुरु करने से पहले प्रकट करने की आवश्यकता होती है।

एसबी श्रेणी की उप–परियोजनाओं के लिए एसए की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इनके लिए संक्षिप्त पुनर्वास कार्य योजना (एआरएपी) की आवश्यकता होती है और सामाजिक प्रबंधन कार्य योजना (एसएमपी) शामिल किए जाने की आवश्यकता होती है, जिन्हें इस ईएसएमएफ में दिए गए दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए रचना परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। यह एसएमपी डीपीआर का एक अंग होती है और बीएपीईपीएस द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा। यदि विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत बीएपीईपीएस सीमित सामाजिक मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस करता है तो इसे कराए जाने की आवश्यकता होगी।

पुनर्वास नीति फ्रेमवर्क

बीकेएफआरपी–II के लिए इस पुनर्वास नीति ढ़ांचा को विश्व बैंक की अनैच्छिक पुनर्वास नीति (ओपी 4.12) के अनुसार तैयार किया गया है। इस ढ़ांचे को निम्नलिखित नीतियों/कानूनों के आधार पर तैयार किया गया है:

बिहार भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894
एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित बिहार राज्य राजमार्ग–II परियोजना – अतिरिक्त वित्तपोषण, नवम्बर 2011

यह ढ़ांचा बीकेएफआरपी–II के अन्तर्गत उप–परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले सामाजिक प्रभावों को कम करने का कार्य करेगा।

शिकायत निवारण

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यान्वयन से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए दो निकायों की स्थापना की जाएगी: राज्य स्तर पर पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति और जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति। पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति की स्थापना प्रधान सचिव, योजना की अध्यक्षता में पुनर्वास के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए की जाएगी। परियोजना निदेशक, बीएपीईपीएस इस समिति के संयोजक होंगे। आरएपी के कार्यान्वयन और पीएपी की किसी शिकायत के निवारण के लिए प्रत्येक तिमाही में इस समिति की बैठक आयोजित होगी। यह समिति भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापन के संबंध में भागीदार

विभागों को नीति संबंधी दिशा–निर्देश मुहैया कराएगी।

पीएपी की शिकायतो के निवारण के लिए जिलाधीश की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में शिकायत निवारण समिति की स्थापना की जाएगी। डब्ल्यूआरडी का अधीक्षण अभियंता इन समितियों के संयोजक होंगे। परियोजना द्वारा अनुबंधित जिला स्तर के सभी एनजीओ इन समितियों को सहायता प्रदान करेंगे। पीएपी के प्रतिनिधि, एनजीओ के अध्यक्ष और जिले के जाने–माने सामाजिक कार्यकर्ता सहित जिला स्तर के सभी भागीदार विभागों के अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे।

पीएपी के पास न्यायालय में सामान्य कानूनी माहौल में राहत प्राप्त करने का विकल्प होगा।

कीट प्रबंधन योजना

उपयुक्त के अलावा इस ईएसएमएफ के एक भाग के रूप में एक कीट प्रबंधन योजना तैयार की गई है। संबंधित लाइन विभाग अर्थात् कृषि विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस परियोजना को क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए किसानों को जुटाने के लिए एनजीओ भगीदार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कीट प्रबंधन एक पारिस्थितिकीय मामला है ओर बाढ़ग्रस्त परियोजना क्षेत्र के संबंध में यह इसका काफी महत्व है।

आईपीएम के महत्वपूर्ण घटक

क्षेत्र की फसलों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कीटों और रोगों की पहचान करना
क्षेत्र की फसलों को प्रभावित करने वाले लघु कीटों और रोगों की पहचान करना
प्रमुख कीटों/रोगों के लिए ईटीएल का मूल्यांकन
कृषि पारितंत्र विश्लेषण (एईएसए) के आधार पर कीट निगरानी और फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप आदि का संयुक्त प्रयोग
आईपीएम के कार्य
- कीट एवं रोग सहनीय/प्रतिरोधक किस्मों की पहचान करना
- सांस्कृतिक विधियां
- भौतिक/यांत्रिक विधियां
- जैविक विधियां
- जैव–कीटनाशक
- रसायनिक विधियां (अधिमानतः उन रसायनों का प्रयोग करना जो कम विषैले होते हैं और प्रयोग के बाद जिनकी आयु कम होती है)

निगरानी और मूल्यांकन

ईएसएमएफ के लिए पर्यावरण और सामजिक पहलुओं पर परियोजना के प्रभाव का विस्तृत पर्यवेक्षण, निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसे करने के लिए, बीएपीईपीएस राज्य और प्रभाग/जिला स्तर पर विशेष इंतजाम करेगा। इसमें परियोजना अवधि के दौरान पर्यावरण विशेषज्ञों और सामाजिक विशेषज्ञों की नियुक्ति किया जाना शामिल है। इसके अलावा बीएपीईपीएस इस ईएसएमएफ के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए जिला और क्षेत्र स्तर के कार्यान्वयन अभिकरणों को दिशा–निर्देश देगा। क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन अभिकरणों (अर्थात् आरसीडी, आरडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी, बीपीएनएनएस, कृषि विभाग आदि) को अपने विभागों से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुभव है और ये इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। ईएसएमएफ के प्रावधानों का कार्यान्वयन इन कर्मचारियों के लिए नया होगा और उनकी क्षमता निर्माण के लिए इस ईएसएमएफ के एक भाग के रूप में विभिन्न ओरेएन्टेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इस ईएसएमएफ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि रक्षोपायों को उचित तरीके से कार्यान्वित किया गया है, इस ईएसएमएफ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

ईएसएमएफ की तिमाही निगरानी के लिए स्वतंत्र परामर्श
समुदाय को जुटाने के लिए एनजीओ भागीदार
पर्यावरणीय सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए स्वतंत्र परामर्शदाता

प्रभाग स्तर पर बीएपीईपीएस का शाखा कार्यालय ईएसएमएफ के कार्यान्वयन का प्रभारी होगा। बीएपीईपीएस के पर्यावरणोय और सामाजिक विशेषज्ञ क्षेत्र स्तर पर ईएसएमएफ के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और कार्यान्वयन करेंगे। यह समग्र मार्गदर्शन उन द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, बीएपीईपीएस इस ईएसएमएफ के प्रावधानों को परियोजना प्रचालन मैन्युअल में अथवा परियोजना के इसी प्रकार के किसी दूसरे दस्तावेज में शामिल करेगा। इस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है और इसे कार्यान्वयन अभिकरणों के सभी क्षेत्र कार्यालयों द्वारा अपनाया जाना है। पर्यावरणीय और सामाजिक विशेषज्ञ इन प्रावधानों के अनुप्रयोग का पर्यवेक्षण करेंगे और प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेंगे, जबकि साथ–साथ क्षेत्र इकाइयों की क्षमता का भी निर्माण करेंगे।

अनुबंधित एनजीओ क्षेत्र स्तर पर ईएसएमएफ के कार्यान्वयन का समन्वय करेगा। एनजीओ की पांच टीमें होंगी; प्रत्येक टीम में एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक पर्यावरण कार्यकर्ता शामिल होगा। एनजीओ की टीम में कम से कम 50% महिलाएं होंगी। एनजीओ बीएपीईपीएस शाखा स्तर पर एक टीम लीडर नियुक्त करेगा, जो पर्यावरणीय और सामाजिक विशेषज्ञ होगा और वह बीएपीईपीएस के साथ एनजीओ के प्रयासों का समन्वय करेगा।

निम्नलिखित प्रावधानों में ईएसएमएफ के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था की गई है:

पर्यावरणीय पर्यवेक्षणः यह मूलतः बीएपीईपीएस द्वारा किया जाता है। यह जांचने के लिए कि सभी रक्षोपाय अपेक्षाओं को पूरा किया जा रहा है और निराकरण किए जाने वाले किसी मुद्दे की पहचान के लिए बीएपीईपीएस के शाखा कार्यालय द्वारा नियमित अन्तराल पर सभी उप–परियोजनाओं का दौरा किया जाएगा। बीएपीईपीएस रक्षोपायों के कार्यान्वयन के संबंध में विश्व बैंक को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

तिमाही निगरानीः नियमित निगरानी के एक भाग के रूप में रचना और पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं द्वारा और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा समवर्ती आन्तरिक पर्यावरणीय निगरानी की जाएगी। तथापि, बीएपीईपीएस द्वारा नियुक्त स्वतंत्र परामर्शदाताओं द्वारा रक्षोपाय अनुपालन के लिए चुनिंदा उप–परियोजनाओं की तिमाही पर्यावरणीय और सामाजिक निगरानी की जाएगी। ये स्वतंत्र परामर्शदाता नमूनें के रूप में सभी ईए/एसए परियोजनाओं को और 10% ईबी/एसबी उप–परियोजनाओं का चयन करेंगे।

पर्यावरणीय लेखा परीक्षाः परियोजना अवधि के दौरान दो बार; मध्यावधि और अवधि के समापन पर परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक निष्पादन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा के लिए बीएपीईपीएस रचना और पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं से अलग एक बाह्य अभिकरण की नियुक्ति करेगा। पूरी की जा चुकी 5% प्रतिशत उप–परियोजनाओं को लेखा परीक्षा में शामिल किया जाएगा जिनमें उप–परियोजनाओं की दोनों श्रेणियों ईए/एसए और ईबी/एसबी का प्रतिनिधित्व होगा।

साझेदार सहभागिता और परामर्श

बीएपीईपीएस उप–परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने में सहायता प्राप्त करने के लिए रचना परामर्शदाताओं को नियुक्त करेगी। इन परामर्शदाताओं की टीओआर में जन/साझेदार परामर्श के लिए परामर्शदाताओं की स्पष्ट आवश्यकता है। यह उप–परियोजनाओं के निर्माण में अग्रिम जन/साझेदारों की निविष्टियां सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है। उप–परियोजना कार्यान्वयन के दौरान जीपी, एनजीओ, समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) को शामिल किया जाएगा। जीपी की जन परामर्श बैठकों में परियोजना निगरानी रिपोर्टें बांटी जाएंगी। साझेदार बैठकों में उप–परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी और उप–परियोजना के नियंत्रण और सुधारों के लिए सिफारिशें की जाएगी। इन सिफारिशों को भावी उप–परियोजना रचना में प्रयोग किया जाएगा।

प्रकटीकरण

बीएपीईपीएस इस पूरी ईएसएमएफ को अपनी वेबसाइट पर दिखाएगा। पुनर्वास नीति ढ़ांचे को पात्रता ढ़ांचे के साथ उजागर किया जाएगा, हालांकि पात्रता ढ़ांचा एसईएमएफ का एक भाग है, इन दस्तावेजों को बीएपीईपीएस की वेबसाइट पर अलग से पहचाना जाएगा और उजागर किया जाएगा। इन दोनों दस्तावेजों का हिन्दी में अनुवाद किया जाएगा और ये बीएपीईपीएस की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। बीएपीईपीएस ने ईएसएमएफ और पुनर्वास नीति ढ़ांचे और पात्रता मैट्रिक्स के अंतिम संस्करणों को सभी जिलाधीशों के कायालय में दिखाने की भी व्यवस्था की है।

विश्व बैंक इस ईएसएमएफ और अन्य किसी भावी ईए/एसए को ईएमपी/आरएपी के साथ इन्फोशोप पर प्रकाशित करेगा ताकि इच्छुक पार्टियां इसे डाउनलोड कर सके और संदर्भ के लिए प्रयोग कर सकें।

व्यापक एएसएमएफ समीक्षा

बीएपीईपीएस परियोजना अवधि के दौरान ईएसएमएफ की एक सम्पूर्ण/व्यापक समीक्षा करेगा। समीक्षा के आधार पर, यदि आवश्यक हुआ तो ईएसएमएफ को अद्यतन बनाया जाएगा। बीएपीईपीएस इस समीक्षा और पुनरीक्षण को विश्व बैंक द्वारा बीकेएफआरपी–II की मध्यावधि समीक्षा से ठीक पहले करेगा।

संस्थानिक और कार्यान्वयन व्यवस्थाएं

बीकेएफआरपी–II को कोसी बेसिन के पहचाने गए बाढ संभावित जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। इस परियोजना को मुख्यतः गंगा नदी के उत्तर में स्थिति जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। यह परियोजना बाढ़ ग्रस्त जनसंख्या की रक्षा और सुरक्षा बढ़ाने पर केन्द्रित होगी और साथ ही साथ उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने पर भी केन्द्रित होगी। राज्य स्तर पर योजना विभाग कार्यान्वयन अभिकरण

है और बहुत से भागीदार विभाग भी हैं जो परियोजना के घटकों का कार्यान्वयन कर रहे हैं। विभिन्न भागीदार विभागों के प्रयासा का समन्वय करने के लिए, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसायटी (बीएपीईपीएस) की स्थापना की गई है। बीएपीईपीएस का निदेशक समग्र परियोजना कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

परियोजना शक्तिसंम्पन्न समिति (पीईसी) समग्र परियोजना को शासित करेगी और पीआईए का मार्गदर्शन करेगी। पीईसी का गठन मुख्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता बिहार सरकार के विकास आयुक्त द्वारा की जाएगी।

क्षेत्र स्तरीय प्रबंधन

बीएपीईपीएस का क्षेत्रीय कार्यालय भागीदार विभागों, निगरानी और रिपोर्टिंग कार्यों में समन्वय सुनिश्चित करेगा। क्षेत्रीय कार्यालय ' ाखा और कार्यात्मक प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त करेगा अथवा अनुबंधित करेगा। वे एक टीम के रूप में कार्य करेंगे। बीएपीईपीएस के पर्यावरण और सामाजिक विशेषज्ञ किए गए क्षेत्र दौरों, निगरानी के आधार पर नियमित फीडबैक प्रदान करेंगे और संबधित कार्यान्वयन अभिकरण को और परियोजना निदेशक को तृतीय पक्षकार लेखा परीक्षा सेवा प्रदान करेंगे। अनुबंध कार्य के लिए भागीदार विभाग जिम्मेदार होंगे। संबंधित विभाग दिन–प्रतिदिन के कार्य के दौरान सुनिश्चित करेंगे और प्रशासन से सम्पर्क करेंगे कि ईएमपी और आरएपी सहित ईएसएमएफ को उनकी संबंधित उप–परियोजनाओं में कार्यान्वित किया जा रहा है।

रचना परामर्शदाताः बीएपीईपीएस द्वारा उप–परियोजनाओं के नियोजन और रचना और कार्यान्वयन पर्यवेक्षण कराने के लिए रचना (और पर्यवेक्षण) परामर्शदाताओं को अनुबंधित किया जाएगा। उनकी टीम में एक पर्यावरणीय इंजीनियर और एक सामाजिक वैज्ञानिक भी शामिल होगा।

एनजीओ भागीदारः ईएसएमएफ के संबंध में क्षेत्र स्तरीय सहभागिता नियोजन, कार्यान्वयन, निगरानी, सामुदायिक जागरुकता सृजन, निगरानी और रिपोर्टिंग को किसी योग्य और अनुभवी एनजीओ से आउटसोर्सिंग से कराया जा सकता है। इस एनजीओ के पास पर्यावरणीय, सामाजिक, आजीविका, आदि मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर जागरुकता सृजन और सामुदायिक प्रशिक्षण का दायित्व होगा।

स्वतंत्र पर्यावरणीय सामाजिक तिमाही निगरानी परामर्शदाताः रचना और पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा नियमित निगरानी के एक भाग के रूप में समवर्ती आन्तरिक पर्यावरणीय सामाजिक निगरानी की जाएगी। तथापि, बीएपीईपीएस द्वारा नियुक्त स्वतंत्र परामर्शदाता रक्षोपाय अनुपालन के लिए चयनित उप–परियोजनाओं की तिमाही पर्यावरणीय और सामाजिक निगरानी करेंगे।

पर्यावरणीय और सामाजिक लेखा–परीक्षकः विभिन्न परियोजनाओं के ईएमपी और आरएपी सहित ईएसएमएफ के अनुपालन पर स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करने के लिए बीएपीईपीएस द्वारा तृतीय पक्षकार लेखा–परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

परियोजना प्रशासन ढांचे और भावी लक्षित समुदायों में पर्यावरणीय और सामाजिक जागरुकता और पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन क्षमता निर्माण के लिए परियोजना लक्ष्यों हेतु विकसित ईएसएमएफ के एक भाग के रूप में एक क्षमता निर्माण और आईईसी रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सोपानी दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसेकि ओरिएन्टेशन/अधिगम प्रशिक्षण कार्यक्रम, ईएसएमएफ पर प्रशिक्षण, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन पर प्रशिक्षण नियोजित किए गए हैं। परियोजना अवधि के दौरान कुल लगभग 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। बीएपीईपीएस के सदस्यों, भागीदार विभागों के कर्मचारियों, एनजीओ आदि के सदस्यों के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन की कुल अनुमानित लागत 2.0 करोड़ है।

कुल ईएसएमएफ बजट

बीकेएफआरपी–II के तहत पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन काय–कलापों जैसेकि प्रशिक्षण और कार्यशालाएं, स्वतंत्र परामर्शदाताओं द्वारा तिमाही पर्यावरणीय सामाजिक रक्षोपाय निगरानी, बाह्य अभिकरण द्वारा पर्यावरणीय और सामाजिक लेखा–परीक्षा, विशिष्ट पर्यावरण और सामाजिक संबंधित सामुदायिक जागरुकता सामग्री तैयार करना आदि के लिए कुल बजट करोड 77 रुपए का तैयार किया गया है।